



क्रमांक 2244159

मान्यता प्रमाण-पत्र हायर सेकेण्डरी (1-7-1995 से ~~30-6-1995~~) स्थिति

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8 (ब) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए विनियमों के अध्याधीन माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल, एतद् द्वारा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शाला/स्कूल/संस्था विश्वदीप उ.मा.वि. दुर्ग जिला दुर्ग को नीचे तालिका में दिए गए विषयों में निम्न सामान्य शर्तों पर मान्यता प्रदान करता है :-

1. शाला/स्कूल/संस्था मा.शि.मं. द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों/निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के लिए पूर्णरूपेण उपलब्ध रहेगी।
2. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मध्यप्रदेश रेग्युलेशन के सभी प्रावधानों का पूर्णरूपेण अक्षरशः व सही पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधान का पालन न किये जाने की दशा में मा.शि.मं. यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
3. संस्था समय-समय पर मा.शि.मं. द्वारा मांगी गई जानकारी, निर्धारित सामयिक रिपोर्ट/रिटर्न/सूचनाएं यथासमय निर्देशानुसार मा.शि.मं. के जिला/संभागीय/ऑंचलिक कार्यालय तथा/अथवा मुख्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड, विश्व-विद्यालय या परीक्षण संस्था की ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और न भेजेगी जो मा.शि.मं. के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरूप और स्तर की हो।
5. संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सृजनात्मक विकास, मनोरंजन और खेल-कूद के विकास के लिए भी समुचित उपाय करेगी।
6. प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

परीक्षा	विषय	माध्यम
हायर सेकेण्डरी	1. विशिष्ट भाषा - उर्दू 2. सामान्य भाषा - हिन्दी 3. ग्रुप बी - विज्ञान - समूह वाणिज्य - वा.के.मूले तत्व, पुस्तकपालन व लेखा कर्म, व्यवहारित कंप्यूटर एवं वा.भूगोल	